न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, डीडवाना

पीठासीन अधिकारी:– **विकास मोहन भाटी, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्या: **441/2022** दायर दिनाँक **28.11.2022**

वादीगण

1. इलियास पुत्र उसमान जाति व्यापारी निवासी अमरपुरा तहसील डीडवाना जिला डीडवाना–कुचामन राज.

बनाम्

प्रतिवादीगण

1. अफशाना पुत्री अब्दुल गफ्फार
2. शकील पुत्र अब्दुल जब्बार
3. नवाब पुत्र अब्दुल जब्बार
4. उकील पुत्र अब्दुल जब्बार
5. मुस्तकीन पुत्र अब्दुल जब्बार
6. मौहसीन पुत्र अब्दुल जब्बार
7. तोसिब पुत्र अब्दुल जब्बार
8. अब्दुल हक पुत्र अब्दुल जब्बार
9. शमीम बानो पुत्री अब्दुल जब्बार
10. फरजाना बानो पुत्री अब्दुल जब्बार
11. अब्दुल पुत्र अब्दुल जब्बार
12. अमीना पत्नी याकुब
13. अयुब पुत्र उसमान

13(1) रमजाना बानो पत्नी जब्बार

14. वासीद भाटी पुत्र याकुब
15. कुरसेद उर्फ खुर्शीदा पुत्री जमाल
16. कालू पुत्र जमाल
17. खजीदा पुत्री जमाल
18. जमील पुत्र याकूब
19. जुलेखा पुत्री याकूब
20. जाकिर पुत्र उसमान
21. जाविद भाटी पुत्र याकूब
22. फजलू पुत्र जमाल
23. फिजो पुत्री उस्मान
24. [illegible] अब्दुल गफ्फार
25. [illegible] जमाल
26. बसीर पुत्र याकूब
27. मेमुना बानो पुत्री याकूब

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Mohan Bhati
Date: 2026.04.10 13:01:35 IST
Reason: SelfAttested

Vikas

उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

28. मोहम्मद आरिफ पुत्र याकूब
29. मोहम्मद साजिद पुत्र याकूब
30. रूकसाना पुत्री अब्दुल गफ्फार
31. रफीक पुत्र अब्दुल गफ्फार
32. सरीफ पुत्र अब्दुल गफ्फार
33. सलाउदीन पुत्र उसमान
34. सलीम पुत्र अब्दुल गफ्फार
35. सायर पुत्र याकूब
36. हुसन पुत्री जमाल
37. जमील पुत्र गफ्फार
38. नजमा पुत्री अयूब
39. मोहम्मद हुसैन पुत्र अब्दुल गफ्फार
    जाति व्यापारी निवासी ग्राम अमरपुरा
    तहसील डीडवाना जिला नागौर
    राजस्थान
40. तहसीलदार डीडवाना

दावा बाबत्

बंटवारा व स्थायी निषेधाज्ञा

अन्तर्गत धारा– 53, 188 R.T.Act.

उपस्थित:–

1. श्री अनवर खान वकील वादीगण।
2. श्री नारायणराम परिहार वकील प्रतिवादीगण

–:: निर्णय ::–

दिनाँक **07.01.2026**

वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि यह है कि मौजा अमरपुरा पटवार हल्का दादूबासनी के खाता संख्या 16 (पुराना 15) खसरा संख्या 291 रकबा 3.6110 है. एवं खसरा संख्या 6788/291 रकबा 0.2500 है. एवं खेत खाता संख्या 17 (पुराना 16) खसरा संख्या 428 रकबा 1.3400 है. भूमि में वादीगण व प्रतिवादीगण के मध्य विभाजन प्रस्तावित करने बाबत् दिनाँक **10.07.2025** को प्राथमिक डिक्री जारी कर ...ाकर तहसीलदार डीडवाना को निर्देश दिया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Mohan Bhati
Date: 2026.04.10 13:01:35 IST
Reason: SelfAttested

Vikas
उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

तहसीलदार डीडवाना ने अपने पत्रांकः प.1(12)रीडर/2025/667 दिनाँक 16.12.2025 के द्वारा विभाजन प्रस्तावित किया। तहसीलदार डीडवाना द्वारा प्रस्तावित बन्टवारा पर बहस पक्षकारान् सुनी गयी जिसमें पक्षकारान बंटवारा प्रस्तावानुसार विभाजन करवाने हेतु सहमत हैं। बंटवारा प्रस्तावित करने में तहसीलदार डीडवाना सक्षम प्राधिकारी है। अतः तहसीलदार डीडवाना के द्वारा प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव जरिये पत्रांकः पत्रांकः प. 1(12)रीडर/2025/667 दिनाँक 16.12.2025 को स्वीकार कर, हस्तगत वाद अंतिम डिक्री सादिर किया जाता है तथा आदेश दिया जाता है कि :–

–:: आदेश ::–

मौजा अमरपुरा पटवार हल्का दादूबासनी के खाता संख्या 16 (पुराना 15) खसरा संख्या 291 रकबा 3.6110 है. एवं खसरा संख्या 6788/291 रकबा 0.2500 है. एवं खेत खाता संख्या 17 (पुराना 16) खसरा संख्या 428 रकबा 1.3400 है. भूमि में वादीगण व प्रतिवादीगण के मध्य घोषणा खातेदारी व बंटवारा कर, इनकी वर्तमान खातेदारी के स्थान पर, तहसीलदार डीडवाना से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव जरिये पत्रांकः प. 1(12)रीडर/2025/667 दिनाँक 16.12.2025 में वर्णितानुसार भूमि का पक्षकारान् को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर खाता विभाजन करने के आदेश दिए जाते है।

तहसीलदार डीडवाना का विभाजन प्रस्ताव जरिये पत्रांकः प.1(12)रीडर/2025/667 दिनाँक 16.12.2025 निर्णय एवं डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो।

Vikas

(विकास मोहन भाटी R.A.S.)

उपखण्ड अधिकारी

डीडवाना

उपखण्ड अधिकारी डीडवाना

निर्णय आज दिनाँक **07.01.2026** को सरे इजलास में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Mohan Bhati
Date: 2026.04.10 13:01:35 IST
Reason: SelfAttested

Vikas

(विकास मोहन भाटी R.A.S.)

उपखण्ड अधिकारी

डीडवाना

उपखण्ड अधिकारी डीडवाना